रोज़ी- रोटी का अधिकार अभियान

5 ए जंगी हाउस शाहपुर जाट, नई दिल्ली
011 26499563 / righttofood@gmail.com / www.righttofoodindia.org

22/03/2010

प्रति,
डॉ. मनमोहन सिंह
प्रधान मंत्री
भारत सरकार,

आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय,

हम, रोज़ी-रोटी का अधिकार अभियान के सदस्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के प्रस्तावित मसौदे पर अपनी गहरी निराशा व्यक्त करते हैं. मीडिया में आ रही ख़बरों से यह पता चला है कि मंत्रियों के सशक्त समूह ने जिस मसौदे को केबिनेट में चर्चा के लिए मंज़ूरी दी है वह मसौदा केवल बी पी एल परिवारों को ३ रूपए प्रति किलो की दर से 25 किलो अनाज पाने का बेहद न्यूनतम अधिकार देता है.

हम यह देख कर चकित हैं कि मंत्रियों के सशक्त समूह के मसौदे में कहीं पर भी लोगों की पोषण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने की बात नहीं कही है.

यह प्रस्तावित मसौदा ना केवल भारत के लोगों के साथ एक विश्वासघात है बल्कि यह माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा भोजन के अधिकार के प्रकरण में दिए गए निर्णयों की भावनाओं की भी खुले रूप में अवमानना करता है. यह मसौदा समाज के वंचित तबकों सहित अलग-अलग सामाजिक वर्गों की बहुपक्षीय खाद्य सुरक्षा को पूरी तरह से नज़र अंदाज़ करता है.

हम इस मसौदे को खारिज करते हैं!

मंत्रियों के सशक्त समूह के मसौदे में परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा के नाम पर 25 किलोग्राम अनाज देने का जो प्राज्धान किया गया है, वह वास्तव में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सुनिश्चित किये गए मौजूदा 35 किलो ग्राम अनाज प्रति परिवार के अधिकार से भी कम है. एक ऐसा कानून जो अधिकार देने का वायदा करके वास्तव में अमौजूदा अधिकारों को सीमित करता हो, और उनके सामान को ठेस पंहुचाता हो, वह भारत के लोगो को अस्वीकार्य है.

इस मसौदे में अधिकारों का दायरा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों (जो संख्या भारत के योजना आयोग द्वारा तय की गई है) के लिए सीमित करके क़ानून की सोच को समग्र तौर पर अनुपयोगी बना दिया गया है. इसमें कोई शक नहीं कि आप भी यह जानते हैं कि भारत में ४६ फ़ीसदी बच्चे

कुपोषण की गिरफ्त में हैं, और यह दर सब-सहारा अफ्रीका से दो गुना ज्यादा है. इतना ही नहीं यह भी शर्मनाक स्थिति है की भारत में मातृत्व मृत्यु दर बहुत ऊँची है, जिसका एक बढ़ा कारण महिलाओं में कुपोषण की स्थिति है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लोक व्यापीकरण किये बिना कोई और कदम इस स्थिति में बदलाव नहीं ला सकता है. देश का हर वयस्क रहवासी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2 रूपए प्रति किलो की दर से 14 किलोग्राम अनाज (जिसमे ज्वार बाजरा, जोंधरी सरीखा पोषक अनाज भी शामिल हो), 20 रूपए प्रति किलो की दर से डेढ़ किलो दाल, और 35 रूपए प्रति किलो की दर से खाने के तेल की पात्रता हो. बच्चों के सन्दर्भ में यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कम से कम आधी मात्रा का अधिकार हो. राशन कार्ड परिवार की महिला मुखिया के नाम पर बनाया जाए.

महोदय, आप यह जानते हैं कि न्यूनतम खाद्य अधिकार देने का मतलब है खाद्य असुरक्षा कि स्थिति का निर्माण और उसे बनाए रखना. यदि वे लोग जो कि बी पी एल की सूची के बाहर हैं, परन्तु अपने अस्तित्व के लिए सस्ता राशन (अनाज) चाहते हैं, उन्हें इस व्यवस्था से अनाज पाने का अधिकार होना चाहिए. भोजन का लोकव्यापी अधिकार ही भारत में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है.

हमारी यह ठोस मान्यता है कि खाद्य अधिकार के बदले नकद भिग्तान की व्यवस्था से भी खाद्य असुरक्षा का संकट नहीं मिटेगा बल्कि इससे खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का मकसद नेस्तनाबूत हो जाएगा.

आप जानते हैं कि मंगाई के मामले में पिछले 3 दशकों में हम आज सबसे ख़राब स्थिति में हैं और कीमतों में कमी लाने के मामले में आपकी सरकार द्वारा अपनी भूमिका को नकारे जाने से बेहद हताश हैं. ऐसे समय में इस तरह का प्रस्तावित मसौदा बढ़ती हुई भुखमरी और कुपोषण का मजाक उढाता सा नज़र आता है.

हम इस बात से भी व्यग्र हैं कि मंत्रियों के सशक्त समूह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपर्याप्त अधिकारों को देने और बहिष्कार को बढ़ाने वाला अपना मसौदा ऐसे समय में जारी किया है जबकि इन अधिकारों का विस्तार करने की अनुशंसा करने वाली वाधवा समिति ने अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय अभी ही सौंपी है. इससे लगता है कि मंत्रियों के सशक्त समूह ने रोटी के अधिकार पर न्यायालय में चल रही कार्यवाही को सुनियोजित तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश की है.

सर्वोच्च न्यायालय पहले ही अपने आदेशों के जरिए खाद्य सुरक्षा के बहुपक्षीय अधिकारों को सुनिश्चित कर चुका है, जैसे हर परिवार को 35 किलो राशन, वंचित परिवारों के लिए अन्त्योदय अन्न योजना के तहत और सस्ता राशन, शिशुओं और बच्चों के लिए आई सी डी एस के तहत पूरक पोषण आहार, मातृत्व सहायता योजना और जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को सुरक्षा, स्कूलों में मध्यान भोजन, वृधावस्था पेंशन, आश्रय विहीनों, शहरी गरीबों, बेघर बच्चों एकल महिलाओं और 6 वर्ष के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के अधिकार शामिल हैं.

महोदय, हम ऐसे किसी कानों और मसौदे को स्वीकार नहीं करेंगे जो लोगों के अधिकारों को सीमित करता हो. हमें बुनियादी जरूरतों के साधनों की लोकव्यापी उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत है, यह एक ऐसी जरूरत है जिस पर भारत की सरकार के द्वारा कोई समझौता नहीं किया जा सकता है.

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मसले में हस्तक्षेप करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून में बहुपक्षीय अधिकारों का उल्लेख और क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जैसा कि हमें ऊपर दर्ज किया है.

यह एक ऐसा क़ानून होना चाहिए जो खाद्ययान उत्पादन के लिए एक बेहतर वातावरण बनाए, उत्पादन के साधनों जैसे जमीन, जंगल और पानी पर लोगो का नियंत्रण सुनिश्चित करता हो. इन्ही प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादातर लोगो का जीवन निर्भर है अतः इनके उपयोग को ना बदला जाए.

हम विश्वास करते हैं कि यह क़ानून इन अधिकारों को सुनिश्चित करेगा

सादर

रोज़ी-रोटी अधिकार अभियान के संयोजक समूह और अन्य सदस्यों की ओर से

Jean Drèze Annie Raja Aruna Roy Kavita Srivastava Anuradha Talwar

Vandana Prasad Biraj Patnaik

On behalf of all members below:

Annie Raja of (*National Federation for Indian Women)*
Anuradha Talwar and Madhuri Krishnaswamy (*New Trade Union Initiative)*
Arun Gupta& Radha Holla (*Breast Feeding Promotion Network of India)*
Arundhati Dhuru and Sandeep Pandey (*National people's Movement of India)*
Ashok Bharti (*National Conference of Dalit Organizations)*
Aruna Roy (*National Campaign for People's Right to Information)*
Asha Mishra and Vinod Raina (*Bharat Gyan Vigyan Samiti)*
Abhay Kumar (*Right to Food Collective-Karnataka)*
Biraj Patnaik, (*Office of Commissioners of Supreme Court),*
Balram *(Right to Food campaign-Jharkhand),*
Colin Gonsalves (*Human Rights Law Network)*
Devika Singh, (*Delhi FORCES)*
Dipa Sinha (*Working Group for Children under Six)*
Gangaram Paikra (*Chhattisgarh Kishan Mazdoor Andolan)*
Harsh Mander *(Aman Biradari),*

Jean Dreze (*Allahabad University)*,
Kavita Srivastava (*People's Union for Civil Liberties),*
Kiran Bhatty, (*National Commission for Protection of Child Rights),*
Mira Shiva and Vandana Prasad (*Jan Swasthya Abhiyan),*
Manas Ranjan and Rajkishore Mishra (*Right to Food Campaign Collective-Orissa),*
Muddasani Kodanda Rama Reddy, *(RTF Collective Andhra Pradesh),*
Nikhil Dey *(Mazdoor Kisan Shakti Sangathan Rajasthan),*
Paul Diwakar (*National Campaign for Dalit Human Rights),*
Rupesh (*Right to Food Campaign Collective-Bihar),*
Reetika Khera, *(Indian Statistical Institute, New Delhi)*
Subhash Bhatnagar (*National Campaign Committee for Unorganized Sector workers),*
Suresh Sawant & Ulka Mahajan (*Anna Adhikar Abhiyan-Maharashtra),*
Sachin Jain *(Right to Food Campaign Support Group-Madhya Pradesh),*
Sejal Dand *(Anna Suraksha Adhikar Abhiyan Gujarat),*
Samir Garg (*Adivasi Adhikar Samiti- Chhattisgarh),*
Sumitra Thacker- (*Anna Suraksha Adhikar Abhiyan-Gujarat),*
Sunil Kaul, (*The Ant, Chirang Assam),*
Saito Basumatary*, (People's Rights Forum, Guwahati, Assam).*
V.B.Rawat (*Social Development Foundation)*

For more details, please contact:
Secretariat - Right to Food Campaign
C/o PHRN
5 A, Jungi House,
Shahpur Jat, New Delhi 110049.
India
Website: www.righttofoodindia.org
Email: righttofood@gmail.com
Phone - 91 -11 -2649 9563/9899952724
/09351562965/09650434777/09868828474